राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1566/2016/आबकारी/अजमेर.

शाहरूख खान पुत्र श्री शफी मौहम्मद, जाति मुसलमान,
निवासी वार्ड नं0 3, चौधरी कॉलोनी,
मदनगंज–किशनगढ़, जिला अजमेर. .....प्रार्थी.

बनाम

जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अशोक नाथ, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/09/2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के प्रकरण क्रमांक प.29(बी)(19)अपील/आब/2016 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9क(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को वर्ष 2016–17 में अजमेर शहर के वार्ड संख्या 11 व 12 के समूह संख्या 7 का देशी मदिरा का व्यवसाय करने के लिये अनुज्ञापत्र दिनांक 12.03.2016 को जारी किया गया। अनुज्ञापत्र स्वीकृत होने पर प्रार्थी ने व्यवसाय का संचालन करने हेतु दुकान संख्या 114/22 ठठेरा चौक, ऊसरी गेट वार्ड नं. 12 अजमेर का नक्शा जिला आबकारी कार्यालय के यहां पेश किया, जो स्वीकृत किया जाकर प्रार्थी को देशी मदिरा का व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गयी।

3. उक्त वार्ड की पूर्व पार्षद श्रीमती भारती श्रीवास्तव द्वारा उक्त दुकान बंद किये जाने की शिकायत के मद्देनजर एवं दिनांक 03.05.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अजमेर में दौरा होने से जिला प्रशासन ने जिला आबकारी अधिकारी को उक्त दुकान को शिफ्ट करने के आदेश दिये, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने दिनांक 03.05.2016 को आदेश जारी कर प्रार्थी से वैकल्पिक लोकेशन की मांग की गई। प्रार्थी ने दिनांक 24.05.2016 को आयुक्त, आबकारी विभाग के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया

लगातार.....2

कि विवादित दुकान का नक्शा नियमानुसार स्वीकृत करवाया जाकर उक्त दुकान पर वर्ष 2009 से मदिरा का व्यवसाय किया जा रहा है। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रार्थना–पत्र पर आयुक्त, आबकारी विभाग द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 25.05.2016 द्वारा जारी करते हुए जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 03.05.2016 को अग्रिम आदेश तक स्थगित करते हुए जिला आबकारी अधिकारी से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। जिला आबकारी अधिकारी ने अपील की बिन्दुवार टिप्पणी दिनांक 09.06.2016 को प्रस्तुत करते हुए अंकन किया गया कि जिला कलेक्टर ने निरन्तर जन आक्रोश के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दुकान अन्यत्र स्थानान्तरण करने के निर्देश दिये हैं। उक्त निर्देशों की पालना में आदेश दिनांक 03.05.2016 द्वारा प्रार्थी को दुकान समूह के अन्य क्षेत्र अजमेर शहर वार्ड संख्या 11–12 में कहीं भी दुकान स्वीकृत कराने का आदेश दिया गया। अनुज्ञाधारी अब भी अपने समूह क्षेत्र में दुकान लगाने को स्वतन्त्र है। आबकारी आयुक्त ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में जारी स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि जिला आबकारी अधिकारी प्रकरण की विवादित स्थिति को जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष रखेंगें एवं जिला स्तरीय कमेटी अपने स्तर पर दुकान की अवस्थिति का निर्णय करेगी। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 03.05.2016 एवं आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 15.06.2016 को विधि विरूद्ध बताते हुए कथन किया कि उनकी दुकान का नक्शा नियमानुसार आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त दुकान का संचालन वर्ष 2009 से किया जा रहा है। केवलमात्र पूर्व पार्षद की शिकायत के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकान को अन्यत्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने में एवं आबकारी आयुक्त द्वारा भी उक्त आदेश की पुष्टि करते हुए प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखने हेतु निर्देशित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....3

5. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकान अन्यत्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखते हुए दुकान की अवस्थिति का निर्णय करेंगे। उक्त आदेशों की पालना में प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा गया। जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.07.2016 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

1.	श्री अरविन्द सेंगवा	–	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), अजमेर
2.	श्री अवनीश शर्मा	–	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अजमेर
3.	श्री एन. एल. राठी	–	जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर
4.	श्री मनोज बिस्सा	–	सहायक आबकारी अधिकारी, अजमेर
5.	श्रीमती कीर्ति भारद्वाज	–	आबकारी निरीक्षक, वृत–अजमेर उत्तर
6.	श्री शमशेर सिंह	–	प्रतिनिधि अनुज्ञाधारी दे. म. अजमेर वार्ड संख्या 5 समूह संख्या 4

उक्त बैठक में निम्न निर्णय लिया गया :–

"देशी मदिरा समूह संख्या 7 अजमेर नगर निगम वार्ड संख्या 12 की दुकान ऊसरी गेट अजमेर के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुज्ञाधारी श्री शाहरूख खान द्वारा ऊसरी गेट दुकान की बतायी गयी वैकल्पिक लोकेशन की जांच कर राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अंतर्गत अनुकूल पायी जाने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावे।

उक्त मदिरा दुकान ऊसरी गेट की आबकारी निरीक्षक अजमेर शहर उत्तर द्वारा मौके पर जाकर जांच की गयी। मदिरा दुकान आबकारी नियम 75 के अनुकूल होना पाया गया। केवल मात्र दुकान से 160 मीटर की दूरी पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है। जिसको देशी मदिरा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5.5 के तहत स्कूल बंद होने के एक घण्टा पश्चात खोलने की शर्त पर स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः तदनुसार समिति द्वारा दुकान स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये।"

लगातार.....4

इस प्रकार आबकारी आयुक्त के प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में जिला स्तरीय समिति द्वारा आदेश पारित कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निष्प्रभावी (Infructuous) हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.07.2016 में लिये गये निर्णय की प्रति भी पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिला स्तरीय समिति के निर्णय दिनांक 11.07.2016 का अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध प्रश्नगत निगरानी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखने हेतु, जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। आबकारी आयुक्त के निर्देशों की पालना में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रकरण को जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा गया एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से, जिसमें प्रार्थी का प्रतिनिधि भी उपस्थित है, वैकल्पिक स्थान पर दुकान खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी। अतः आबकारी आयुक्त के प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना हो जाने के फलस्वरूप हस्तगत निगरानी चलने योग्य नहीं रहती है एवं स्वतः निष्प्रभावी (Infructuous) हो जाती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी की निगरानी निष्प्रभावी (Infructuous) हो जाने से, अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

01/09/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

1-9-2016

(मदन लाल)
सदस्य